नवोदय टाइम्स THU,10 JULY 2025
EDITION: GURGAON, PAGE NO. 1

ईएसआईसी में बढ़ेगा नियोक्ताओं व कर्मचारियों का दायरा

केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले के डॉ. मंडाविया ने दी मंजूरी

■ **एक जुलाई से 31 दिसंबर-2025 तक सक्रिय रहेगी योजना**

ईएसआई निगम बैठक के दौरान डा मंडाविया।

गुड़गांव, 9 जुलाई (संजय): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले व खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम बैठक के दौरान (एसपीआरईई-2025) के माध्यम से नियोक्ता व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है।

योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि यह योजना नियोक्ताओं व कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही व्यवसाय व कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही यह योजना संरक्षित भविष्य का संकल्प भी प्रदान करती है। इस सुविधा से नियोक्ताओं सहित तमाम लोगों को फायदा होने की उम्मीद जताई गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा स्वीकृत नियोक्ताओं व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना एसपीआरईई-2025 ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। यह योजना एक जुलाई से 31 दिसंबर-2025 तक सक्रिय रहेगी। इसके अलावा गैरपंजीकृत नियोक्ताओं व कर्मचारियों- जिनमें संविदा व अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं।

नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा व एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों व कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई अंशदान या हितलाभ देय नहीं होगा। पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई निरीक्षण या पिछले रिकार्ड की मांग नहीं की जाएगी।

ईएसआईसी ने नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना को दी मंजूरी

संविदा और अस्थाई कर्मचारियों को होगा लाभ

- एक जुलाई से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी योजना

गुरुग्राम, प्रवीण कुमार, (पंजाब केसरी): निजी क्षेत्र में संविदा और अस्थाई तौर पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए यह जानकारी किसी सौगात से कम नहीं है। राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एसपीआरईई 2025 (नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को मंजूरी दे दी है।

यह फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 196 वीं बैठक में लिया। योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही व्यवसाय और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही यह योजना संरक्षित भविष्य का संकल्प भी प्रदान करती है।

क्या है एसपीआरईई 2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा स्वीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना एसपीआरईई 2025 ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी और अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों- जिनमें 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी जिसमें संविदा और अस्थाई कर्मचारी शामिल है- को निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग का सामना किए बिना नामांकन करने का एक बार का अवसर प्रदान करती है ।

डिजिटल भी करा सकते हैं पंजीकरण

नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई अंशदान या हितलाभ देय नहीं होगा। पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई निरीक्षण या पिछले रिकार्ड की मांग नहीं की जाएगी। यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। एसपीआरईई से पहले, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। एसपीआरईई 2025 इन बाधाओं को दूर करता है, जिसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई स्कीम) के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सामाजिक सुरक्षा का प्रगतिशील कदम

एसपीआरईई 2025 का शुभारंभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और पूर्वव्यापी देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करके, यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वाले, ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को प्राप्त करें। ईएसआईसी भारत में कल्याण-केंद्रित श्रम इकोसिस्टम के दृष्टिकोण के साथ अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुविधा

केंद्र सरकार ने एक जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए खोला पोर्टल

कर्मचारियों का अधिक से अधिक होगा ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। जिन कंपनी व उसके कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किसी कारण से नहीं हो सका है या किसी तरह का विवाद है तो वह केन्द्र सरकार की स्त्री स्कीम के तहत उसका रजिस्ट्रेशन अब करा सकेंगे। केन्द्र सरकार की इस योजना से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार की ओर से एसपीआरईई (स्त्री) (नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को इसका लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत - गुरुग्राम जोन में उप क्षेत्रीय प्रभारी ने रेवाड़ी, बावल, मानेसर, गुरुग्राम, उद्योग विहार में काम करने वाते श्रमिकों को इसके तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा।

योजना के बारे में उप क्षेत्रीय कार्यालय,गुरुग्राम के प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही व्यवसाय और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही यह योजना संरक्षित भविष्य का संकल्प भी प्रदान करती है।

एसपीआरईई 2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा स्वीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना एसपीआरईई 2025 ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी और अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों- जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं- को निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग का सामना किए बिना नामांकन करने का एक बार का अवसर प्रदान करती है ।

क्या है एसपीआरईई 2025

- नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।
- पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा।
- पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई अंशदान या हितलाभ देय नहीं होगा।
- पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई निरीक्षण या पिछले रिकार्ड की मांग नहीं की जाएगी।

एसपीआरईई 2025 कई बाधाओं को करता है दूर

यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। एसपीआरईई से पहले, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। एसपीआरईई 2025 इन बाधाओं को दूर करता है, जिसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई स्कीम) के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

केन्द्र सरकार की ओर से एसपीआरईई के तहत श्रमिकों को एक जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक स्त्री के तहत जिसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई स्कीम) के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। - **सुनील यादव , उप क्षेत्रीय कार्यालय,गुरुग्राम।**